

29  $\frac{9}{17}$

वकील वादी - अनुपास्थित । वकील प्रतिवादी  
सं. 1 व 2 अनुपास्थित । वाद की सुनवाई के  
लिये प्रकार होने के बावजूद भी दोनों में  
से कोई भी पक्षकार उपसंजात नहीं हुआ  
है अतः वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश  
R-03 के तहत खारिज किया जाता है। परावली  
केसल शुमा होकर नया से कम है।

500

उपखण्ड अधिकारी  
विभागी